न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 340/2024
अनवान : –

1. समेस्ता पत्नी स्व0 राजेन्द्र जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. संदीप पुत्र स्व0 राजेन्द्र जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
2. सुखदेव पुत्र स्व0 राजेन्द्र जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 10/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता संख्या 64/64 की कुल 2.9080 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि, रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता संख्या 69/59 की कुल 16.0590 हैक्ट भूमि में से 7/24 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता संख्या 107/106 की कुल 20.4720 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि राजेन्द्र के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में राजेन्द्र पुत्र मनीदेवी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। राजेन्द्र पुत्र मनीदेवी का देहान्त हो चुका है। राजेन्द्र पुत्र मनीदेवी के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपना समस्त हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीया काबिज है जिसकी वादीया न्यायालय से घोषणा करवा पाने की अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा करवाकर खाता व लगान अलग करवा लेवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री [illegible] जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार [illegible] में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:51:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण राजेन्द्र, वारिसान प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में राजेन्द्र पुत्र मनीदेवी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। राजेन्द्र पुत्र मनीदेवी का देहान्त हो चुका है। राजेन्द्र पुत्र मनीदेवी के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपना समस्त हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीया के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीया के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीया ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीया के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता संख्या 64/64 की कुल 2.9080 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि, रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता संख्या 69/59 की कुल 16.0590 हैक्ट भूमि में से 7/24 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता संख्या 107/106 की कुल 20.4720 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि राजेन्द्र के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादीया का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में राजेन्द्र पुत्र मनीदेवी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। राजेन्द्र पुत्र मनीदेवी का देहान्त हो चुका है। राजेन्द्र पुत्र मनीदेवी के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपना समस्त हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है, प्रतिवादीगण द्वारा वादीया के उक्त कथनो को स्वीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:51:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नही है। वादीया द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक राजेन्द्र के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता संख्या 64/64 की कुल 2.9080 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि, रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता संख्या 69/59 की कुल 16.0590 हैक्ट भूमि में से 7/24 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता संख्या 107/106 की कुल 20.4720 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि राजेन्द्र के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में राजेन्द्र का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 10/06/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:51:01 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 340/2024

अनवान : –

1. समेस्ता पत्नी स्व0 राजेन्द्र जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. संदीप पुत्र स्व0 राजेन्द्र जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
2. सुखदेव पुत्र स्व0 राजेन्द्र जाति जाट निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 340 सन 2024 निर्णय दिनांक 10/06/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता संख्या 64/64 की कुल 2.9080 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि, रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता संख्या 69/59 की कुल 16.0590 हैक्ट भूमि में से 7/24 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता संख्या 107/106 की कुल 20.4720 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि राजेन्द्र के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में राजेन्द्र का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/06/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:51:01 IST
Reason: SelfAttested